बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आदेश

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 एवं उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार के पत्र सं0– 1-2/2007-BP.III दिनांक 10.10.2014 के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्रत्येक माह में खाद्यान्न के उठाव एवं वितरण के लिए निम्नवत् फूड कैलेन्डर अगले आदेश तक के लिए जारी किया जाता है :–

क्र. सं.	आवंटित दायित्व एवं कार्य	आवंटित दायित्व को निष्पादन हेतु निर्धारित समावधि	अक्टूबर 17 को उदाहरण मान समयावधि
1	पणन पदाधिकारी /प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा जन वितरण प्रणाली विक्रेतावार खाद्यान्न का उपावंटन किया जाना (offline)	प्रत्येक आवंटित के लिए आवंटित माह के प्रथम दिवस से 60 दिवस पूर्व स (3 दिन)	1–3 अगस्त तक
2	अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा खाद्यान्न का उपावंटन किया जाना/अनुमोदित किया जाना (offline)	प्रत्येक आवंटित माह के लिए आवंटित माह के प्रथम दिवस से 56 दिवस पूर्व (3 दिन)	4–6 अगस्त तक
3	अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा उपावंटित / अनुमोदित खाद्यान्न उपावंटन के अनुसार पणन पदाधिकारी/ प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा जन वितरण प्रणाली विक्रेतावार Approved किया जाना (online)	प्रत्येक आवंटित माह के लिए आवंटित माह के प्रथम दिवस से 50 दिवस पूर्व (5 दिन) ।	7–11 अगस्त तक
4	पणन पदाधिकारी/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा ऑन लाईन Approved किये गये उपावंटन के अनुसार जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा ऑन लाईन चालान निकाल कर राज्य खाद्य निगम के बैंक खाता में खाद्यान्न का मूल्य जमा किया जाना	प्रत्येक आवंटित माह के प्रथम दिवस से 45 दिवस पूर्व (5 दिन) ।	8–12 अगस्त तक
5	राज्य खाद्य निगम द्वारा भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्न का विमुक्ति आदेश (R.O) क्रय करना	प्रत्येक आवंटित माह के खाद्यान्न हेतु विमुक्ति आदेश (R.O) का क्रय आवंटित माह के प्रथम दिवस से 40 दिवस पूर्व (6 दिन) ।	13–18 अगस्त तक
6	भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से राज्य खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्न का उठाव करना	प्रत्येक आवंटित माह का खाद्यान्न आवंटित माह के प्रथम दिवस से 1–30 दिवस पूर्व (पिछले माह के 1 से 30 तारीख तक–30 दिन) खाद्यान्न का उठाव किया जाएगा।	1–30 * सितम्बर तक
7	राज्य खाद्य निगम द्वारा उपावंटित खाद्यान्न के विरूद्ध जमा राशि के अनुसार खाद्यान्न आपूर्ति हेतु भंडार निर्गमादेश (S.I.O) निर्गत करना	प्रत्येक आवंटित माह के प्रथम दिवस से 40 दिवस पूर्व (20 दिन) भंडार निर्गमादेश जारी किया जाएगा ।	20 अगस्त – 10 सितम्बर तक
8	राज्य खाद्य निगम द्वारा जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के दुकान पर भंडारण निर्गमादेश (S.I.O) के अनुसार खाद्यान्न का डोर स्टेप डिलेवरी करना	प्रत्येक आवंटित माह का खाद्यान्न राज्य खाद्य निगम के गोदाम से लक्षित जन वितरण प्रणाली के गोदाम तक (DSD से) आवंटित माह के 1ली तारीख से 20 तारीख तक किया जाएगा।	1–20 अक्टूबर तक
9	जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा लाभूकों को खाद्यान्न का वितरण करना	प्रत्येक आवंटित माह के अंतिम सप्ताह में आवंटित माह का खाद्यान्न वितरण किया जाएगा।	23–30 अक्टूबर तक
10	खाद्यान्न उत्सव मनाया जाना	प्रत्येक आवंटित माह के अंतिम तीन दिन खाद्यान्न उत्सव मनाया जाएगा।	28–30 अक्टूबर तक
11	छूटे हुये उपभोक्ताओं को खाद्यान्न उपलब्ध कराना।	प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में गत माह के छुटे हुए लाभुकों को खाद्यान्न वितरण किया जाएगा।	1–7 तारीख / माह

*** सामान्य समयावधि में खाद्यान्न उठाव नहीं होने की विशेष स्थिति में दो विस्तारित अवधि (15–15 दिनों का) में उठाव की व्यवस्था होगी ।**

D:\Year-2017\SECTION-46\Food Calander 2017.doc

2. खाद्यान्न के उठाव एवं वितरण के विभिन्न चरण में विभिन्न पदाधिकारियों/जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा अनुपालन का दायित्व निम्नवत् निर्धारित किया जाता है :–

क्र0	कार्यक्रम	अनुपालन का दायित्व
1.	पणन पदाधिकारी /प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा जन वितरण प्रणाली विक्रेतावार खाद्यान्न का उपावंटन किया जाना।	अनुमंडल पदाधिकारी/पणन पदाधिकारी/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ।
2.	अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा खाद्यान्न का उपावंटन किया जाना /अनुमोदित किया जाना।	अनुमंडल पदाधिकारी ।
3.	अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा उपावंटित /अनुमोदित खाद्यान्न उपावंटन के अनुसार पणन पदाधिकारी/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा जन वितरण प्रणाली विक्रेतावार ऑनलाईन उपावंटन को Approved किया जाना ।	अनुमंडल पदाधिकारी/पणन पदाधिकारी/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ।
4.	पणन पदाधिकारी/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा ऑन लाईन Approved किये गये उपावंटन के अनुसार जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा ऑन लाईन चालान निकाल कर राज्य खाद्य निगम के बैंक खाता में खाद्यान्न का मूल्य जमा किया जाना ।	अनुमंडल पदाधिकारी/पणन पदाधिकारी/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/जन वितरण प्रणाली विक्रेता ।
5.	राज्य खाद्य निगम द्वारा उपावंटित खाद्यान्न के विरूद्ध जमा राशि के अनुसार खाद्यान्न आपूर्ति हेतु भंडार निर्गमादेश (S.I.O) निर्गत करना।	जिला आपूर्ति पदाधिकारी/जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम ।
6.	राज्य खाद्य निगम द्वारा भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्न का विमुक्ति आदेश (R.O) क्रय करना।	जिला आपूर्ति पदाधिकारी/जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम।
7.	भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से राज्य खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्न उठाव करना।	जिला आपूर्ति पदाधिकारी/जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम/सहायक गोदाम प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम/नामित परिवहन अभिकर्त्ता । अनुमंडल पदाधिकारी स्तर से सघन अनुश्रवण ।
8	राज्य खाद्य निगम द्वारा जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं दुकान पर भंडार निर्गमादेश (S.I.O) के अनुसार खाद्यान्न का डोर स्टेप डिलेवरी करना ।	जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम/सहायक गोदाम प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम/नामित परिवहन अभिकृर्त्ता। अनुमंडल पदाधिकारी स्तर से सघन अनुश्रवण ।
9	जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा लाभूकों को खाद्यान्न का वितरण करना।	जिला आपूर्ति पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी/ पणन पदाधिकारी/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी /आपूर्ति निरीक्षक/जन वितरण प्रणाली विक्रेता।
10	खाद्यान्न उत्सव मनाया जाना।	जिला आपूर्ति पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी/ पणन पदाधिकारी/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/ आपूर्ति निरीक्षक/जन वितरण प्रणाली विक्रेता।

3. निर्धारित समय–सीमा के अन्दर भंडार निर्गमादेश निर्गत कर डोर स्टेप डिलेवरी योजना का कार्यान्वयन का दायित्व पूर्ण रूप से जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम का होगा ।

4. सभी जिलों द्वारा वर्त्तमान माह के अंतिम सप्ताह में लाभुकों को आवंटित माह का खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित किया जाएगा ।

5. सभी जिलों द्वारा वर्त्तमान माह के अंतिम **3 दिन** खाद्यान्न दिवस का आयोजन कर शेष लाभुकों अथवा वैसे लाभुकों को जिन्हें किसी कारणवश खाद्यान्न नहीं मिला हो, को खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित किया जाएगा।

खाद्यान्न दिवस पर पर्यवेक्षण एवं सघन अनुश्रवण के लिए जिला स्तर से पंचायतवार/प्रखंडवार पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति होगी ।

Supply Chain Management System के सॉफ्टवेयर पर प्रत्येक पणन पदाधिकारी अपने logging से ऑनलाईन वितरण की स्थिति प्रत्येक माह के 15 तारीख तक गत माह का दर्ज करेंगे ।

उक्त फूड कैलेन्डर के अनुसार खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण सभी सम्बद्ध पदाधिकारी एवं जन वितरण प्रणाली विक्रेता ससमय सुनिश्चित करेंगे ।

(भरत कुमार दुबे)
सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांक –प्र0– 06–विविध–03/2010 3762 /खाद्य,पटना/दिनांक 02.08.17

प्रतिलिपि – सभी प्रमंडलीय आयुक्त/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, खाद्य भवन, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/महाप्रबंधक (क्षेत्र), भारतीय खाद्य निगम, पटना/ विशिष्ट पदाधिकारी अनुभाजन, पटना/अपर जिला दंडाधिकारी आपूर्ति, पटना/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सभी जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रषित ।

सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांक –प्र0– 06–विविध–03/2010 3762 /खाद्य,पटना/दिनांक 02.08.17

प्रतिलिपि – माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/बिहार राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष के आप्त सचिव/सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रषित ।

सरकार के विशेष सचिव ।